न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1850–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–2–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 476/अपील/2014–15.

.....

धीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मुकेश शर्मा
निवासी गिरवाई नाका ए0बी0रोड, लश्कर,
ग्वालियर.

..... आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र पाल पुत्र श्री रघुनाथसिंह पाल
निवासी ग्राम बेहटा तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.2.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बेहटा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1053 रकबा 0.334 हेक्टेयर की भूमिस्वमी लक्ष्मीबाई केलकर की मृत्यु हो जाने के कारण एवं उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किये जाने के कारण वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 07/14–15/अ–6 दर्ज कर दिनांक 29–4–15 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का

नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–8–15 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–2–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय भूमिस्वामी लक्ष्मीबाई केलकर द्वारा दिनांक 23–6–14 को आवेदक के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है और उनकी मृत्यु दिनांक 22–8–14 को हो चुकी है। अनावेदक द्वारा फर्जी वसीयत दिनांक 21–2–1990 को बनाकर प्रस्तुत की गई है जिसमें लक्ष्मीबाई केलकर की मृत्यु 17–5–1995 को होना बताया है और मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 6–2–2000 का होना बताया गया है, जबकि योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं होना बताया गया है । अतः स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत संदिग्ध है । आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में मूल वसीयत प्रस्तुत की गई थी एवं साक्ष्य से भी वसीयत को प्रमाणित किया गया था इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का नामान्तरण करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक पर अपनी वसीयत दिनांक 21–2–1990 को सिद्ध करने का भार था परन्तु उसके द्वारा वसीयत को सिद्ध नहीं किया गया है । इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये जाने में त्रुटि की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर ने अपने जीवन काल में उक्त संपत्ति की वसीयत दिनांक 21–2–1990 को निष्पादित की थी तथा वसीयतनामा पर ग्राम के निवासियों द्वारा साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये थे । यह तर्क दिया गया कि श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर की मृत्यु दिनांक 17–5–1995 को हो चुकी है उनकी मृत्यु के पश्चात् अनावेदक उनका एक मात्र वैध वारिस व उत्तराधिकारी है । श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर की मृत्यु 17–5–1995 में हुई इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम पटवारी द्वारा ग्राम में जॉच पड़ताल करने के पश्चात् इस आशय का प्रतिवेदन कि लक्ष्मीबाई केलकर 20–25 साल से न तो ग्राम में आ रही है और ना ही उनके द्वारा लगान आदि प्रदाय किया जा रहा है इससे स्पष्ट है कि श्रीमती लक्ष्मीबाई की मृत्यु 17–5–1995 को हुई है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि आवेदक का यह तर्क कि अनावेदक द्वारा 1990 के वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण कराये जाने का कोई पत्र पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उक्त वसीयतनामा संदिग्ध है और इस संबंध में उनके द्वारा जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है उक्त न्याय दृष्टांत उक्त प्रकरण में लागू न होने से स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही में वसीयतनामा के साक्षियों के कथनों से वसीयतनामा सिद्ध कराया जाना आवश्यक है जिसे अनावेदक के साक्षियों द्वारा सिद्ध किया गया है, केवल इस आधार पर कि वसीयतनामा के लिये विलम्ब से कार्यवाही की गई है इस आधार पर उक्त वसीयतनामा संदिग्ध है माने जाने योग्य नहीं होने से आवेदक का उक्त तर्क निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक लक्ष्मीबाई द्वारा आवेदक के हक में दिनांक 23–6–14 को निष्पादित वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित होने तथा आवेदक मृतक लक्ष्मीबाई का नाती नहीं होने के कारण उसके द्वारा फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष द्वारा वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है, परन्तु वसीयतनामा साक्ष्य से संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है । इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और अनुविभागीय के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है । चूँकि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी लावारिस फौत हुये हैं, इसलिये कलेक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित करने की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर